

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार

रैयत का नाम: सागर माझी पिता/पति का नाम: जगन माझी निवास स्थान: दंगसी,, जाति : दुसाध राजस्व थाना

जिला: (15) गोपालगंज

अंचल: (14) बरौली

मौजा: (1033) दंगसी

अधिकार अभिलेख

** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो

नंबर: 267

खाताधारी सं.: 1501141033000148 लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें

खाता नंबर	रैयत का नाम*	खेसरा नंबर	खेत चौहदी	किस्म जमीन	रकवा				हाकिम के तहकीकात	r I	नवैयत गैर दखलदार	परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, ज्ञापन और तिथि आदेश	नवैयत
					ऐ॰	डे॰	Ш	दखल, दखल का स्वरुप	मुताबिक लगान एवम सेस		रैयत के कब्जे की मुद्दत	देने वाले पदाधिकारी का पदनाम	जमाबंर्द नं.
1	2	3	4	5	6	7	-	9	10(₹)	11(₹)	12	13	14
	2: कुशल वो बिसर वो खुशी वो इसार पिता/पित का नाम - सुधर माझी जाति - दुसाध पता -दंगसी,,	745	पू प उ बिधया ओझ द कुशल माझी		0	18	0		9	0			रैयत 1121
		746	पू प उ सागर माझी द गुली माझी	भੀठ	0	6	0		0	0			रैयत 1121
		748	पू प उ सागर माझी द सोभन माझी	भੀठ	0	10	0		0	0			रैयत 1121
		1221	पू प उ रघुबर महतो द नदी		0	12	0		0	0			रैयत 1121
		1304	पू प उ सागर माझी द धरिक्षन महतो	भीठ	0	23	0		0	0			रैयत 1121
		1305	पू प उ शोभन माझी द कुशल माझी		0	24	0		0	0			रैयत 1121
		1446	पू प उ सोभन माझी द किसुन तिवारी	भीठ	0	4	0		0	0			रैयत 1121
		1532	पू प उ भिखारी पड़ित द कुशल पड़ित	<u> ਮੀ</u> ਠ	0	21	0		0	0			रैयत 1121
		1533	पू प उ सागर	भੀठ	0	20	0		0	0			रैयत 1121

4/17/2	3, 8:41 PM	land.bihar.gov.in/Ror/ViewRoRReportNew.aspx?SID=tzhflbfb0r1r2g1u4jwug3nu &LHID=1501141033000148&KNo=89										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(₹)	11(₹) 12	13	14
		1718	द शोभन माझी पू प उ शे0जबाहिर द परती कदीम	भੀठ	0	14	0		0	0		रैयत 1121
		1719	पू प उ शे0जबाहिर द परती कदीम		0	14	0		0	0		रैयत 1121
		1746	प ू	ਮੀਠ	0	17	0		0	0		रैयत

Ч.-

1747 ц.-

Ч.-

उ.- महंथ सुघर दास

द.- कुशल माझी

उ.- सागर दुसाध द.- मोहर्रम

ਮੀਠ

0 17 0

जिला :(15) गोपालगंज, अंचल :(14) बरौली, मौजा :(1033) दंगसी, खाता नंबर :89, खाताधारी सं.: 1501141033000148

0

चालू खितयान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

एन.आई.सी., बिहार के तकनीकी सहयोग द्वारा विकसित

1121

रैयत 1121